No 111

फर्म अहकाम
(नियम 15)

अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी मुकाम.:– राजाखेडा

मोहित वगै0 बनाम दाऊदयाल वगै0
किस्म मुकदमाः– दावा U/S 53,88, 188 R.T,Atc. नम्बर 178 सन् 23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.2023	दावा बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08. 11.2023 को पेश हो।	
8/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलो द्वारा ... /P.O. सा. के राज्य कार्य में (चुनाव कार्य में) व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो ... आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 10/01/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
13/12/23	पत्रावली वादीगणों की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दफ्तर से पेश हुई। प्रा० पत्र के जरिये वादीगणों के द्वारा निवेदन किया गया है कि हम पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से समझौता / राजीनामा हो गया है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है। तथा उपरोक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चलाना चाहते है। तथा वाद इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। हमने वकील वादी व वादीगणों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगणों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने का कथन किया है एवं प्रकरण इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया है। अतः वादीगणों के प्रार्थना पत्र पर वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली कैफियत कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	Mohit Lokesh [illegible] 13/12/23